10.6.2015 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
शिविर जिला केन्द्र मुख्यालय पर
प्रस्तुत हुई। वादी रामजीलाल उपस्थित।
प्रतिवादीगण की पूर्व में ही मृत्यु हो
चुकी है। प्रतिवादीगण की ओर से
रमेशचंद उपस्थित है। दोनों पक्षों
को सुना गया। प्रतिवादी के द्वारा
मृत्यु प्रमाण पत्र व नकल नामान्तरकरण
310 दि. 13-11-97 की
छाया प्रति प्रस्तुत की। जिसके
अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण
के नाम श्रीमान अति० जिला कलेक्टर
महोदय टोंक के निर्णय से अंकित है।
वादी को यदि उक्त निर्णय से
कोई आपत्ति है तो वह सक्षम
न्यायालय में वाद दायर करें।
वाद वादी इस न्यायालय में चलने
योग्य नहीं है अतः वाद वादी
इसी स्टेज पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर
नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल
हो।